न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 195/2013

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. नैमा पुत्र जेत्र		1. मैन्दू पुत्र भागू
जाति-भांबी, निवासी-पालियावास		जाति-गुर्जर, निवासी-पालियावास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली		तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.03/07/2013**

उपस्थितः. 1 श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 03/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-पालियावास, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 263/1, 271/1, 286, 287, 296 कुल-5 कुल रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा की आई हुई हैं। नकल जमाबंदी साथ पेश हैं। उक्त जमीन पर वादी का कब्जा व काश्त करता हैं। उक्त भूमि में खसरा नम्बर 271/1 में प्रतिवादी ने बिना किसी अधिकार के पत्थर, बजरी, चूना डाल दिया है तथा प्रतिवादी की नियत खराब हो गयी हैं। जोर जबरदस्ती लाठी के बल पर वादी की जमीन हडपना चाहता है तथा वादी अनूसूचित जाति का गरीब व्यक्ति हैं। प्रतिवादी स्वर्ण जाति का है तथा वादी की जमीन पर नीचे खोदकर निर्माण करने पर तुला हुआ है तथा वारिश होने पर वादी अपनी जमीन की खडाई व बुवाई करेगा तथा प्रतिवादी उसमें रोक-टोक करेगा। जबकि प्रतिवादी को वादी की खातेदारी व कस्बे काश्त की जमीन पर ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी को वादी की उक्त जमीन पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादी की जमीन खसरा नम्बर 263/1 व खसरा न 271/1 दोनो के चारो तरफ पाले लेग हुवे है, जो वादी ने लगाये है तथा तथा वादी उक्त जमीन पर कब्जा करना चाहता हैं। तथा निर्माण कार्य करने पर तुला हुवा हैं। यदि प्रतिवादी ने जबरदस्ती वादी की उक्त जमीन पर नीचे खोद कर निर्माण कार्य कर दिया, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रुपयो के रुप में नहीं आंका जा सकेगा तथा मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। विविध मुकदमें बाजी होगी तथा वादी बरबाद हो जायेगा तथा वादी अपने हक व अधिकारो से महरुम हो जायेगा। इस कारण वादी को मजबुर होकर न्यायालय की शरण लेनी पडी हैं। वादी कानून में विश्वास रखता हैं तथा मौके पर लडाई टन्टा नहीं करना चाहता हैं। प्रतिवादी ने वादी को दिनांक 30/06/2013 को गांव-पालियावास में यह धमकी दी हैं कि वह वादी की जमीन पर निर्माण कर नीचे खोदकर चारो तरफ चार दिवानी निकालेगा। तब वादी जैतारण आया और तहसील से जमाबंदी की नकल प्राप्त की इस कारण यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के विरुद्ध पेश हैं। बिनायदावा दिनांक 30/06/2013 को प्रतिवादी द्वारा वादी को धमकी देने पर व वादी द्वारा जमाबंदी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने पर स्थान पालियावास में उत्पन्न हुआ जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में हद अख्तियार व अन्दर मयाद में पेश किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। बावजूद सम्मनस तामिल के प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास में पेश हुई। पत्रावली अवलोकन किया गया। शहादत हेतु वकील वादी को बावजूद समय दिया गया। शहादत पेश नहीं रहने से बंद किया जाता हैं। राजस्व अभिलेख के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार हैं और वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोकना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–पालियावास, तहसील–जैतारण में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 263/1, 271/1, 286, 287, 296 कुल–5 कुल रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा में वादी रेकर्ड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने तथा खसरा नम्बर 263/1 व 271/1 की भूमि में निर्माण आदि करने से जरिए स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

ईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. नैमा पुत्र जेठ
जाति-भांबी, निवासी-पालियावास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. मैन्दू पुत्र भागू
जाति-गुर्जर, निवासी-पालियावास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:195/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफ़िसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री . करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी। मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-पालियावास, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 263/1, 271/1, 286, 287, 296 कुल-5 कुल रकबा 2। बीघा 15 बीस्वा में वादी रेकर्ड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने तथा खसरा नम्बर 263/1 व 271/1 की भूमि में निर्माण आदि करने से जरिए स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-...मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	05	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner